बिहार विधान सभा के चालू सत्र के लिये गैर सरकारी संकल्प की सूचना।

श्री राम लषण राम "रमण", स0वि0स0 से प्राप्त गै0स0सं0–30/2013 की सूचना।

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गढ़ढ़े में गिरकर हुई मौत एवं आँधी में पेड़ गिरने से हुई मौत एवं क्षति को प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति की श्रेणी में शामिल करें "।

डॉ0 (श्रीमती) रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार का वक्तव्यः–

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में निम्नांकित आपदायें सम्मिलित है, यथा बाढ़, सुखाड़, अग्निकांड, भूकम्प, चकवात, ओलावृष्टि, हिमपात, भू–स्खलन, सुनामी, बादल फटना, कीट का आकमण एवं शीतलहर । गढ़ढ़े में गिरकर हुई मौत को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। चूँकि चकवात प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में सम्मिलित है, अतएव चकवातीय आँधी में पेड़ गिरने से हुई मौत एवं क्षति हेतु साहाय्य मानदर के अनुरूप सहायता देने का प्रावधान है।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–04/वि0स0गै0स0सं0–32/2013/...../आ0प्र0 दिनांक–.....

प्रतिलिपि–अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2101 दिनांक–02.03.2013 के क्रम में 03 (तीन) प्रतियों में/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(सच्चिदानन्द चौधरी)

अवर सचिव

ज्ञापांक–1423/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 15/4/13 -

प्रतिलिपि– सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/4/13

अवर सचिव

D:\youjana 2013\sbs rajya sabha 6-3-13.docx